

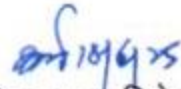
बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

आदेश

संख्या- वि०प्रा०त०शि०(VI)आरोप (विविध)-49/2024/ 2957 /पटना, दिनांक -10.06.25

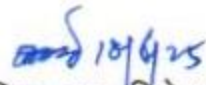
विभागान्तर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षको/कर्मियों एवं छात्र/छात्राओं से महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/प्रभारी प्राचार्य के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की शिकायत/परिवाद में उठाये गये बिन्दुओं की महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर जाँच हेतु निम्नरूपेण समिति गठित की जाती है:-

- महाविद्यालयों/संस्थानों में संचालित सभी Branch/Stream से एक-एक सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता।
 - अनुसूचित जाति के एक प्रतिनिधि।
 - एक महिला प्रतिनिधि।
 - अल्पसंख्यक समुदाय से एक प्रतिनिधि।
 - एक छात्र प्रतिनिधि।
- II. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


अपर सचिव-सह-निदेशक,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
बिहार, पटना।

ज्ञापांक -वि०प्रा०त०शि०(VI)आरोप (विविध)-49/2024/ 2957 /पटना, दिनांक -10.06.25

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/ विभागान्तर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव-सह-निदेशक,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
बिहार, पटना।